



REC Limited | आरईसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम) / (A Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. आई-4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर-29,
गुरुग्राम-122001 (हरियाणा)
दूरभाष: +91 124 444 1300 | वेबसाइट: www.recindia.nic.in
सीआईएन: L40101DL1969GOI005095 | जीएसटी नं.: 06AAACR4512R3Z3

एसईसी-1/187(2)/2025/2295

दिनांक : 29 मई, 2025

लिस्टिंग विभाग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१	कॉर्पोरेट संबंध विभाग बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फीरोज जीजीभोय टावर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
स्क्रिप कोड-REC LTD	स्क्रिप कोड-532955
Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East). Mumbai-400.051.	Corporate Relationship Department BSE Limited 1" Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai-400.001.
Scrip Code-RECLTD	Scrip Code-532955

विषय- सहायक कंपनी के निगमन की सूचना।

महोदय / महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि रॉबर्ट्सगंज पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: U42202DL2025GOI449243) को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल" - आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के प्रावधानों के अनुसार, उक्त कंपनी आरईसी लिमिटेड की भी सहायक कंपनी है। अन्य आवश्यक विवरण **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न हैं।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

भवदीय,

हर्ष बवेजा
निदेशक (वित्त)

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

क्षेत्रीय कार्यालय : बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता
लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा
राज्य कार्यालय : वडोदरा,
प्रशिक्षण केंद्र : आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद

रॉबर्ट्सगंज पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड” नामक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निगमन।

क्रम संख्या	विवरण	ब्यौरा
1.	लक्षित इकाई का नाम, आकार, कुल कारोबार आदि जैसे संक्षिप्त विवरण	<p>नाम :रॉबर्ट्सगंज पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड अधिकृत पूंजी :₹5,00,000/- प्रदत्त पूंजी :₹5,00,000/- कुल कारोबार (टर्नओवर) : लागू नहीं (यह एक नव-निगमित कंपनी है और इसने अभी अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया है)।</p> <p>विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 19 मार्च, 2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से एक अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजना आवंटित किया था, जिसमें आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) को सोनभद्र जिले, उत्तर प्रदेश में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स से पावर की निकासी (इवैकुएशन) हेतु पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए बिडर के चयन हेतु बिड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर (बीपीसी) के रूप में नियुक्त किया गया है।</p> <p>उपरोक्त के आलोक में, रॉबर्ट्सगंज पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को 28 मई, 2025 को निगमित किया गया है। टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग (टीबीसीबी) दिशा-निर्देशों के अनुसार सफल बिडर के चयन के पश्चात, उक्त कंपनी को सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ सफल बोलीदाता को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।</p>
2.	<p>क्या यह अधिग्रहण संबंधित पक्ष लेनदेन के अंतर्गत आएगा और क्या प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह/समूह कंपनियों का अधिग्रहीत इकाई में कोई हित है?</p> <p>यदि हां, तो हित की प्रकृति और उसका विवरण बताएं और यह भी बताएं कि क्या यह "निष्पक्ष" तरीके से किया गया है।</p>	<p>रॉबर्ट्सगंज पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, आरईसीपीडीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसलिए यह आरईसी लिमिटेड की संबंधित पार्टी है।</p> <p>प्रमोटर, प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों का रॉबर्ट्सगंज पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में अपनी शेयरहोल्डिंग (शेयरधारिता) की सीमा के अलावा और कोई हित नहीं है।</p>
3.	वह उद्योग जिससे अधिग्रहित की जा रही इकाई संबंधित है।	विद्युत क्षेत्र
4.	अधिग्रहण के उद्देश्य और प्रभाव (जिसमें लक्षित इकाई के अधिग्रहण के कारणों का प्रकटीकरण शामिल है, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है, यदि उसका व्यवसाय सूचीबद्ध इकाई के मुख्य व्यवसाय क्षेत्र से बाहर है)	यह कंपनी सोनभद्र जिले, उत्तर प्रदेश में स्थित पंप स्टोरेज परियोजनाओं से बिजली निकासी हेतु पारेषण प्रणाली के लिए स्थापित की गई है।

5.	अधिग्रहण के लिए आवश्यक किसी भी सरकारी या नियामक अनुमोदन का संक्षिप्त विवरण	भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2025 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार निगमित, जिसमें आरईसीपीडीसीएल को बीपीसी के रूप में नामित किया गया है।
6.	अधिग्रहण के पूरा होने की संभावित समयावधि	लागू नहीं।
7.	प्रतिफल का स्वरूप- क्या यह नकद प्रतिफल है या शेयर स्वैप और उसका विस्तृत विवरण	इक्विटी शेयर पूंजी में नकद (कैश) के माध्यम से 100% सब्सक्रिप्शन।
8.	अधिग्रहण की लागत या वह कीमत जिस पर शेयर खरीदे जाते हैं	इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य पर 100% सब्सक्रिप्शन।
9.	शेयरधारिता का प्रतिशत/ हासिल किया गया नियंत्रण और/या हासिल किए गए शेयरों की संख्या	100%
10.	अधिग्रहीत इकाई का संक्षिप्त परिचय, जिसमें शामिल हैं: अधिग्रहित उत्पाद/व्यवसाय क्षेत्र, निगमन तिथि, पिछले 3 वर्षों का कारोबार इतिहास, वह देश जिसमें अधिग्रहीत इकाई की उपस्थिति है, और कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी (संक्षेप में)।	आरईसीपीडीसीएल अन्य कार्यों के साथ-साथ, विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर सौंपे गए स्वतंत्र इंटर-स्टेट और इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर के चयन हेतु "बीपीसी" के रूप में कार्य करता है।
